

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 165 : Power to make regulations

The Board may, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act.

धारा 165 : विनियम बनाने की शक्ति

बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगा।
